संख्या-50/2023/1356रासनि(13)/23-1-22/001-58आरएसएन/2022टीसी-3

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 07 जनवरी, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 23 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-3612सी/27सी/नवीनीकरण/मूल/22-23, दिनांक 05.12.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार बांदा मण्डल के विभिन्न जनपदों के 23 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 40,90,11,000/- (रूपये चालीस करोड़ नब्बे लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल रू0 10,22,53,000/- (रूपये दस करोड़ बाइस लाख तिरपन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	6 अकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जीएसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	400097	PD Banda	उसरा पुरवा से मुड़वारा नहर पटरी मार्ग।	ODR	PC	7,8,9, 10,13, 16	6.000	5.160	3.87	49.02	0.00	9.52	62.41	15.60
2	400099	PD Banda	मुड़वारा नहर पटरी से गोंडा औदाहा खेड़ा से वीरा मार्ग।	ODR	PC	4,5,6, 7,8,9, 10	7.000	6.020	4.52	57.19	0.00	11.11	72.82	18.20
3	400116	PD Banda	बबेरू कमासिन राजापुर राज्य मार्ग सं0-92 के किमी0 52 से तिलौसा ममसी सिंहपुर मार्ग।	ODR	PC	1,2,3,4, 5,6,11, 12,14, 15,17,1 8,19,21 ,22	15.000	12.900	9.68	122.55	0.00	23.80	156.03	39.00
4	400112	PD Banda	बांदा मुरवल मार्ग से विसण्डा मार्ग।	ODR	PC	3,4,5,6, 7,8,9,1 0, 14	9.000	7.740	5.81	73.53	0.00	14.28	93.62	23.41
5	400133	CD-2 Banda	पैलानी गलौली मार्ग	ODR	BC	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	15.000	23.550	17.66	349.72	18.60	69.48	455.46	113.87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	6 अकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+ 13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जी एसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	400139	CD-2 Banda	पलरा पैलानी मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9(200)	8.200	7.050	5.29	66.98	0.00	13.01	85.28	21.32
7	400135	CD-2 Banda	तिंदवारी बगिया पिपरहरी अमलोर मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17(500)	12.500	10.750	8.06	102.13	0.00	19.83	130.02	32.51
8	415356	Pd Chitra koot	भरतकूप मानपुर मडफा बघेलाबारी मार्ग	ODR	BC	1, 2, 3, 4, 5, 6	6.000	12.000	9.00	159.48	7.44	31.67	207.59	51.90
9	415358	Pd Chitra koot	राष्ट्रीय राजमार्ग-35 से भरतकूप मन्दिर होते हुये संग्रामपुर तक मार्ग	ODR	BC	1(200), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10(100)	8.300	16.600	12.45	220.61	10.29	43.80	287.15	71.79
10	385329	PD Hamirpur	बबेरू तिन्दवारी सुमेरपुर मार्ग	SH	BC	67, 68	2.000	4.000	3.00	53.64	2.48	10.64	69.76	17.44
11	380129	PD Hamirpur	सुमेरपुर टिकरी बुजुर्ग मार्ग	ODR	BC	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	13.000	19.890	14.92	266.67	16.12	53.59	351.30	87.83
12	385346	CD-2 Hamirpur	मौदहा-बिवॉर-जलालपुर कुपरा मार्ग	MDR	BC	19(400), 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31(300)	11.700	23.400	17.55	314.81	14.51	62.44	409.31	102.33
13	380159	CD-2 Hamirpur	सरीला नहर पटरी से हरसुण्डी मार्ग	ODR	PC	2,3,4,5,7,8,10,11,12(200)	8.200	7.500	5.63	64.61	0.00	12.64	82.88	20.72
14	390127	PD Mahoba	महोबा-चरखारी मार्ग	MDR	BC	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	11.000	22.000	16.50	294.14	13.64	58.37	382.65	95.66
15	390156	PD Mahoba	महोबा से बीजानगर दमौरा पचहरा पसवारा मार्ग	ODR	PC	3(400),4,5,6,7,8,9,10(830)	7.230	7.750	5.81	67.35	0.00	13.17	86.33	21.58
16	390154	PD Mahoba	कुलपहाड नौगाॅव मार्ग से थुरट पचारा अमानपुरा भुजपुरा घटेरा दादरी कुन्हेटा एन0एच0-76 तक	ODR	PC	1,2,3,4,5,6(200),9	6.200	6.430	4.82	55.88	0.00	10.93	71.63	17.91
17	390146	Pd Mahoba	श्रीनगर डिगरिया सिजरिया मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(340)	11.340	12.150	9.11	103.88	0.00	20.34	133.33	33.33
18	390070	PD Mahoba	ग्योढी से न्यूरिया मार्ग	VR	PC	1,2,3,4,5,6(900)	5.900	6.320	4.74	55.05	0.00	10.76	70.55	17.64

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	6 अकीय यूनिक कोड	खण्ड का नाम	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रस्तावित सतह	प्रस्तावित किमी संख्या	लम्बाई किमी में		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण की लागत				कुल लागत (10+11+12+ 13)	अवमुक्त धनराशि
							लीनियर लम्बाई	समतुल्य लम्बाई	मरम्मत की लागत	नवीनीकरण की लागत	रोड मार्किंग की लागत	जी एसटी 18 प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	390132	CD-1 Mahoba	महोबा-चरखारी-मुस्करा मार्ग	MDR	BC	34,35,36,37,38,41(750),42,43,44,45,46,47,48,49,50,51(150)	14.900	29.800	22.35	368.24	18.48	73.63	482.70	120.67
20	390380	CD-1 Mahoba	खरेला से ऐंचाना मार्ग	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(600)	11.600	9.940	7.46	80.90	0.00	15.90	104.26	26.07
21	390161	CD-1 Mahoba	चरखारी गोरखा विजयपुर भरवारा मार्ग	ODR	PC	13,14,15,16,17,18	6.000	5.143	3.86	41.84	0.00	8.23	53.93	13.48
22	390091	CD-1 Mahoba	छतेसर रूरीकलां मार्ग	ODR	PC	1,2,7,8,9,10,13,14	8.000	8.571	6.43	69.74	0.00	13.71	89.88	22.47
23	395244	CD-1 Mahoba	जे0एम0 मार्ग से काशीपुर नहर पटरी कोटरापुल होते हुये नगाराघाट मार्ग।	ODR	PC	1,2,3,4,5,6,7,8,9(100),14,15,16,17,18,19,20(700)	14.800	14.421	10.82	117.33	0.00	23.07	151.22	37.80
												कुल योग-	4090.11	1022.53

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंत(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों/स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(8) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(9) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत न हों व नवीनीकरण के निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 10,22,53,000/- (रूपये दस करोड़ बाइस लाख तिरपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक "3054043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-50/2023/1356रासनि(3(1))/23-1-22/001-58आरएसएन/2022टीसी-3, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in